नम्बर / वर्ष 914 / 2024 अनवानी :– गंगाराम बनाम भंवरलालं

तारीख हुक्म	कार्यवाह मय इनीशियल जज	नम्बर व तारिख जो अहकाम की पालना में जारी हुए
03/10/25	वकुलाए फरिकेन उपस्थित ऐतराज विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्षों को सुना गया विवेचन निम्नप्रकार से है प्रतिवादी संख्या 2 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने ऐतराज प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहरातें हुए निवेदन किया की न्यायालय के प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार नोहर के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है वह एक तरफा है ना तो तहसीलदार नोहर ने मौका निरीक्षण किया गया ना ही कोई सुचना दी गई थी पटवारी हल्का ने एकपक्षीय तोर से विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है वास्तविकता है कि कर्मवारीयो ने वादी के कहे अनुसार विभाजन प्रस्ताव तेयार किया गया है प्रतिवादी संख्या 2 का भी विभाजन प्रस्ताव तेयार करवाया जाकर मंगवाया जावे प्रतिवादी संख्या 2 का विभाजन प्रस्ताव नही आने से प्रतिवादी संख्या 2 के हको का हनन होता है प्रतिवादी संख्या 2 भी अपना खाता व लगान अलग करने का प्रस्ताव मंगवाया जावे तहसीलदार नोहर के द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव सही तौर से नही भिजवाया गया है मुल ही भिजवाया गया जो उचित नही है अतः ऐतराज स्वीकार किया जाकर तहसीलदार स्वय के द्वारा मौका निरीक्षण किया जाकर विधि सम्मत प्रतिवादी संख्या 2 का खाता व लगान अलग से दर्शाया जाकर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु निर्देशित किया जावे। वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया की तहसीलदार नोहर ने मौका निरीक्षण किया जाकर मौका स्थिति के अनुसार खाता विभाजन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जो पूर्णरूप से विधि अनुरूप है प्रतिवादी संख्या 2 यदि अपना खाता अलग से कायम करवाना चाहता है तो अलग से वाद पेश करे प्रतिवादी वादी के वाद में किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है हस्तगत वाद वादी ने अपने हक हिस्सा की भूमि का खाता लगान अलग करने का पेश किया गया था जिसकी विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट साधिकार विधि अनुरूप तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत की गई है रिपोर्ट तैयार होने का प्रतिवादी को पूर्ण ज्ञान रहा है ऐतराज खारिज किया जाकर आगामी कार्यवाही फरमावे। हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात /प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव /मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव के सम्बध में जो कथन किये गये है वह पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट के अनुरूप नही है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के तहत केवल कृषि भूमि का ही खाता विभाजन किया जाता है ना की आबादी या प्लाटिग की गई भूमि का तहसीलदार नोहर के द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एव नजरीय नक्शा के अनुसार वर्तमान में उक्त भूमि कृषि उपयोग में नही ली जा [illegible] प्लाटिग की जाकर कुछ स्थान पर आबादी में परिवर्तन [illegible] है तथा वाद भूमि कस्बा नोहर के चक सरदारपु[illegible] तहसीलदार नोहर को पूर्व में कृषि [illegible] में परिवर्तन करने [illegible] नियमानुसार सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु लिखा भी ग[illegible] तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट से [illegible]र्णत्या स्पष्ट है कि भूमि पर प्लाटिग होने एव मौका पर मकानों का निर्माण होने के कारण वादी का वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के तहत मेन्टेबल	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.03 17:05:31 IST
Reason: SelfAttested

नही होने के कारण खारिज योग्य है

राज्य सरकार के हकों को ध्यान में रखा जाकर तहसीलदार नोहर को कृषि भूमि को बिना अधिकार /सपंरिर्वतन करवाये अकृषि उपयोग में लेने के कारण सक्षम न्यायालय में नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जाना न्यायोचित है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार वाद में वर्णित भूमि वर्तमान में कृषि उपयोग में नही ली जा रही है वाद भूमि में प्लाटिग की जाकर अंकृषि उपयोग में ली जा रही है एवं मकानो का निर्माण भी हो चुका है वाद भूमि कृषि उपयोग में नही होने एवं प्लाटिग /अकृषि उपयोग में होने के कारण वाद वादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मेन्टेबल नही है

अतः वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के तहत मेन्टेबल नही होने के कारण वाद वादी इसी स्तर पर खारिज किया जाता है एवं तहसीलदार नोहर को निर्देशित किया जाता है कि कृषि भूमि को बिना अनुमति अकृषि उपयोग में लाने के कारण राज्यहको के मध्य नजर सक्षम न्यायालय में नियमानुसार कार्यवाही की जानी सुनिश्चित करे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनवाया गया।

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनु०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.03 17:05:31 IST
Reason: SelfAttested